

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-679/1514

रायपुर, दिनांक 19/06/2019

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक  
दुर्ग वृत्त, दुर्ग  
छत्तीसगढ़

- विषय:** - Diversion of 8.543 ha. forest land in favour of Chhattisgarh Road Development Corporation (CRDC for Upgradation and Widening to 2-lane of Chhuriya-Kallubanjari Road upto Maharashtra Border in Rajnandgaon District in the State of Chhattisgarh - reg.
- Registration No. FP/CG/ROAD/24860/2017
- संदर्भ:-** 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-19/ 2018/ 10-2 दिनांक 14.12.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 05.02.2019
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/तक.अधि./1173 दिनांक 13.02.2019
- \* \* \* \* \*

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र - 1 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में 12 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र - 2 के माध्यम से उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा बिन्दुवार प्रेषित की गई है। निम्नानुसार सारिणी में आपके द्वारा प्रेषित पालन तथा उस पर इस कार्यालय द्वारा ली गई आपत्ति लेखबद्ध कर प्रेषित है।

क्र.	अधिरोपित शर्तें	संदर्भित पत्र अनुसार पालन प्रतिवेदन एवं इस कार्यालय द्वारा ली गई आपत्ति
I.	Part-I and Part-II has been submitted without mentioning date of submission, further, part-II and III does not have name of signing authority.	पार्ट I एवं पार्ट II में अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित किया गया है। आपत्ति - पार्ट II में न तो अधिकारी का नाम है और न ही दिनांक अंकित है।
II.	Specific recommendation of the DFO with part-II has not been uploaded in online portal.	आनलाईन पार्ट II वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा अपलोड की गई है। - मान्य है।
III.	Certificate, from the DCF concerned, regarding location of the project outside the PAs and whether the area is located within with in a distance of 10 km from the boundary of PAs has not been submitted.	10 किमी की परिधि में कोई भी अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। - वन मंडलाधिकारी का स्थल निरीक्षण (दिनांक 07.02.2018) प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। मान्य है।
IV.	Certificate regarding barest minimum requirement of the Forest land for the proposal has be submitted by user Agency and same need to be submitted by DCF concerned.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता हेतु आवेदक संस्थान एवं वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है। - मान्य है।



क्र.	अधिरोपित शर्तें	संदर्भित पत्र अनुसार पालन प्रतिवेदन एवं इस कार्यालय द्वारा ली गई आपत्ति
V.	Examination of proposed alignment in Google satellite imaginary revealed that a considerable forest land might be avoided by shifting present alignment towards western direction in compartment no. p647 and p-643. Accordingly, State Government may explore the possibility of shifting present alignment towards western side in compartment no. p-647 and p-643 to a void forest land.	इस alignment के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र लिया जाने पर व्यवहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न होगी। अतः पूर्व में चयनित alignment ही उपयुक्त होगा। आपत्ति – आवेदक संस्थान विवरण दें कि किस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाईयाँ होंगी और उनके समाधान करने में किस प्रकार की परेशानी होगी। भारत सरकार की आपत्ति को स्पष्ट ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक टीप होनी चाहिए कि किस प्रकार प्रस्तावित एलाइनमेंट ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि पी-647 एवं पी-643 की तरफ एलाइनमेंट विस्थापित किये जाने में क्या कठिनाई है और उनका समाधान क्यों व्यवहारिक नहीं है? साथ में नक्शा भी आवश्यकतानुसार लगावें।
VI.	Examination of compliance of Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 revealed resolution / proceedings with respect to Damabanjari Gram Sabha has not been submitted. State Government may ensure the complete compliance of FRA, 2006 in accordance to MOEF&CC advisory issued vide letter dated 5 <sup>th</sup> July, 2013.	ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर ही कलेक्टर द्वारा 'प्रदर्श स' जारी किया जाता है जो कि कलेक्टर कार्यालय में नस्तीबद्ध रहता है। अतः वांछित ग्राम सभा का मूल प्रस्ताव इस वनमंडल में उपलब्ध नहीं है। छायाप्रति संलग्न की जा रही है। आपत्ति – यह जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जानी है। या तो आवेदक संस्थान जानकारी जमा करे या फिर स्पष्ट करे कि आवेदक विभाग जानकारी जमा करने में किन कारणों से सक्षम नहीं है। जानकारी जमा न किये जाने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत न किये जाने की स्थिति में वन विभाग 'जिम्मेवार नहीं होगा – इससे भी आवेदक को अवगत करावे।
VII.	DGPS map of land proposed for diversion is submitted in very small scale and same need to be submitted in larger scale.	निर्देशानुसार वांछित मानचित्र संलग्न कर प्रेषित है। – मान्य है। भारत सरकार से ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
VIII.	Index Map/sol Toposheet on 1:50000 scale dully imposing land proposed for diversion has not been submitted.	निर्देशानुसार वांछित मानचित्र संलग्न कर प्रेषित है। – मान्य है। भारत सरकार से ही अंतिम रूप से मान्य होगा।
IX.	Instant proposal is for widening and up gradation of existing road; accordingly details of any new alignments /bye-passes in forest area may be submitted by the state Government.	प्रस्तावित क्षेत्र के अतंगत सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य प्रस्तावित नहीं है। आवेदक संस्थान एवं वनमंडलाधिकारी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है। – मान्य है।



कं.	अधिरूपित शर्तें	संदर्भित पत्र अनुसार पालन प्रतिवेदन एवं इस कार्यालय द्वारा ली गई आपत्ति
X.	Area calculation statement, in tabular form, indicating the forest patch wise length and breadth along with the detail of area left on both left and side of the bifurcated forest patch may be submitted by the state Government. Further, details of area of forest patches being bifurcated from the proposed rehabilitation /upgradaion work or re-alignment, if any, may also be submitted by the State Government.	आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है। — आवेदक संस्थान के प्रमाण पत्र में जानकारी दी गई है। मान्य है।
XI.	Details of employment potential in terms of man days skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent(direct and indirect) basis have not been provided.	आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है। — आवेदक संस्थान के प्रमाण पत्र में जानकारी दी गई है। मान्य है।
XII.	An undertaking may be obtained from the user Agency, in accordance with the MOEF&CC's Guidelines dated 7.01.2013	आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है। — आवेदक संस्थान के प्रमाण पत्र में जानकारी दी गई है। मान्य है।

अतः बिन्दु क्रमांक – I, V, VI के पालन पर उल्लेखित आपत्ति अनुसार पुनरीक्षित पालन शीघ्र प्रेषित करे।

(मुख्य वन संरक्षक)  
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़  
रायपुर, दिनांक 19/06/2019

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 679/ 1515  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लि., तीसरी मंजिल, सिरपुर भवन, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन, रायपुर।

(मुख्य वन संरक्षक)  
वास्ते अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़